कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 172 / स्थापना / 2 / 2026 इन्दौर, दिनांकः 21 .02.2026

आदेश

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :–

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रभार का विवरण
1	2	3
1	श्रीमती रोशनी पाटीदार, संयुक्त कलेक्टर	वर्तमान कार्यो के साथ–साथ **कॉलोनी सेल शाखा** का कार्य संपादित करेंगे।
2	श्री घनश्याम धनगर, संयुक्त कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एव दंडाधिकारी :– **जूनी इन्दौर**
		1– राजस्व प्रकरणों का निराकरण
		म.प्र..भू–रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील जूनी इन्दौर के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन।
		म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील **जूनी इन्दौर।**
		विभिन्न विधि–विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग।
		म0प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम–1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार / शक्तियों का उपयोग।
		लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग।
		वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य।
		नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी।
		क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट।
		क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी
		क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी
		माता– पिता भरण पोषण अधिनियम का क्रियावन्यन
		म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी
		2– दाण्डिक कार्य
		भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार **जूनी इन्दौर अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र**
		थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा भारतीय न्याय

		संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होगें।
		म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत।
		मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु।
		25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण
		उपर्युक्त अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य।
		अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना।
		3– विविध अन्य प्रभारः–
		पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट 1984 का कियान्वयन सुनिश्चित करना ।
		सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण।
		शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र।
		विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार।
		जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना।
		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी व्दारा समय–समय पर सौपे गये अन्य कार्य।
3	श्री प्रदीप सोनी, संयुक्त कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एव दंडाधिकारी :– **देपालपुर**
		1– राजस्व प्रकरणों का निराकरण
		म.प्र..भू–रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील देपालपुर के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन।
		म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग
		विभिन्न विधि–विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग।
		म0प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम–1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग।
		लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग।
		वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य।
		नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी।
		क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट।
		क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी
		क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी
		माता– पिता भरण पोषण अधिनियम का कियावन्यन
		म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी
		2– दाण्डिक कार्य
		भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार **देपालपुर**

		अनुभाग अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र
		थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के कियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होगें।
		म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत।
		मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु।
		25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण
		उपर्युक्त अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य।
		अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना।
		3— विविध अन्य प्रभारः—
		पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट 1984 का कियान्वयन सुनिश्चित करना ।
		सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण।
		शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र।
		विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार।
		जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना।
		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी व्दारा समय—समय पर सौपे गये अन्य कार्य।
4	श्री राकेश मोहन त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एव दंडाधिकारी :— **सांवेर**
		1— राजस्व प्रकरणों का निराकरण
		म.प्र..भू—रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील सांवेर के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन।
		म0प्र0 भू—राजस्व संहिता—1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग
		विभिन्न विधि—विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग।
		म0प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम—1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग।
		लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग।
		वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य।
		नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी।
		क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट।
		क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी
		क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी
		माता— पिता भरण पोषण अधिनियम का क्रियावन्यन
		म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत

		सक्षम प्राधिकारी
		2– दाण्डिक कार्य
		भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार **सांवेर अनुभाग अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र**
		थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के कियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होगें।
		म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत।
		मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु।
		25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण
		उपर्युक्त अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य।
		अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना।
		3– विविध अन्य प्रभारः–
		पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट 1984 का कियान्वयन सुनिश्चित करना ।
		सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण।
		शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र।
		विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार।
		जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना।
		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी व्दारा समय–समय पर सौपे गये अन्य कार्य।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(शिवम वर्मा)
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला इन्दौर

पृष्ठांकन कमांक/ 173 /स्थापना/2/2026 इन्दौर, दिनांकः 21 .02.2026

प्रतिलिपिः–

1/ सचिव,मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2/ आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
3/ पुलिस आयुक्त, जिला इन्दौर।
4/ आयुक्त नगर पालिक निगम इन्दौर ।
5/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर।
6/ अपर कलेक्टर,1, 2,3,4,5 इंदौर की और सूचनार्थ।
7/ समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ———————— को सूचनार्थ।
8/ संयुक्त संचालक, जनसंपर्क विभाग इन्दौर।
9/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर।

10/ जिला राष्ट्रीय सूचना प्रोद्योगिकी एवं विज्ञान केन्द्र कलेक्टोरेट इन्दौर।
11/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ई–गर्वनेस कलेक्टोरेट इन्दौर।
12/ जिला प्रबंधक, लोक सेवा गारंटी, कलेक्टोरेट इन्दौर।
13/ सम्बन्धित श्री ——————————————————————————को पालनार्थ।
14/ समस्त तहसीलदार तहसील —————————————— की और सूचनार्थ।
15/ निज सहायक, कलेक्टर जिला इन्दौर।
16/ कार्यालय अधीक्षक, कलेक्टोरेट जिला इन्दौर।
17/ सहायक अधीक्षक (राजस्व/सामान्य) कलेक्टोरेट जिला इन्दौर।
18/ गार्ड फाईल ।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला इन्दौर